संख्या– 1457/नौ–9–2012–264आरएफ/10टीसी

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक/एसएलएनए,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2012

विषयः– सेटेलाइट योजना के अन्तर्गत पिलखुवा नगर की सीवरेज तथा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में **'नया सवेरा नगर विकास योजना'** से निकाय अंश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–पीएमयू/1099/286(3)/12, दिनांक 06.08.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत **नगर पालिका परिषद, पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद की सीवरेज परियोजना तथा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना** हेतु प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष निर्धारित 10प्रतिशत निकाय अंश की कुल धनराशि ₹161.23 लाख (₹एक करोड़ इक्सठ लाख तेईस हजार मात्र) की नगर पालिका परिषद, पिलखुवा को वित्तीय वर्ष 2012–13 में नया सवेरा नगर विकास योजना से निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख ₹ में)

क.	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत	अनुमोदित लागत में अनुमन्य केन्द्रांश	अवमुक्त केन्द्रांश, जिसके सापेक्ष निकाय अंश वांछित है	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष स्वीकृत निकाय अंश की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पिलखुवा सीवरेज	3687.51	2950.01	1110.34	138.79
2	पिलखुवा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट	897.70	718.16	179.54	22.44
				1289.88	161.23

(₹ एक करोड़ इक्सठ लाख तेईस हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि संबंधित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. स्वीकृत धनराशि एकमुक्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पीएलए में नहीं रखी जायेगी।
3. आवंटित धनराशि आहरित कर यथाप्रक्रिया निर्धारित प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी अर्थात जिन कार्यो के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
6. स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

7. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
8. उपरोक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक /मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यालय महालेखाकार उ.प्र., इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को 31 मार्च, 2013 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान की संख्या–37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– "6215–जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज–आयोजनागत–02–मलजल तथा सफाई–192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता–04–नया सवेरा नगर विकास योजना–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई–8–2120–दस/12, दिनांक 17.12.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 1457(1)/नौ–9–2012–264आरएफ/10टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ/गाजियाबाद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः 3451 / नौ–5–2012–78बजट / 2012

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक / एसएलएनए,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 21 सितम्बर, 2012

विषयः **भारत सरकार द्वारा कियान्वित सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत पिलखुवा नगर की पेयजल परियोजना हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की अवशेष धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– पीएमयू / 1226 / 343 / (1), दिनांक 06.09.2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेटलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पिलखुवा नगर (गाजियाबाद) की पेयजल परियोजना हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांकः PAO(Sectt.)/UD/Grants-in-Aid/Advice/2011-12/1163-65, दिनांक 28.02.2012 द्वारा प्राप्त केन्द्रांश की तृतीय किश्त की धनराशि ₹ 411.35 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या–770 / नौ–7–2012–37बजट / 10, दिनांक 29.03.2012 द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि ₹ 113.39 लाख स्वीकृत की गयी है। तत्कम में अवशेष केन्द्रांश की धनराशि ₹ 310.56 लाख एवं तदनुसार अनुमन्य राज्यांश ₹ 38.82 लाख अर्थात केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि ₹ 349.38 लाख (₹ **तीन करोड़ उन्चास लाख अड़तीस हजार मात्र)** की चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों / उपबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि ₹ लाख में)

क.	परियोजना का नाम	अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की तृतीय किश्त	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि	केन्द्रांश की अवशेष धनराशि	अवशेष केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि	स्वीकृत होने वाली कुल धनराशि (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	पेयजल परियोजना	411.35	110.79	310.56	38.82	349.38

(₹ तीन करोड़ उन्चास लाख अड़तीस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ / स्टेट लेबल नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) द्वारा कोषागार / भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर परियोजना हेतु राष्ट्रीकृत बैंक में खोले गये खाते में रखी जायेगी तथा संबंधित नागर स्थानीय निकाय के अंश की धनराशि प्राप्त होने या अंशदान देने की सहमति प्राप्त होने पर अवमुक्त की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा तथा धनराशि डाकघर / पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(3) निदेशक; स्थानीय निकाय स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निकाय अंश की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर करेंगे।

(4) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्णतः पालन किया जायेगा एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन ही स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है, अन्य कार्यों पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का यथाशीघ्र उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र सामान्य वित्तीय नियमावली–2005 के नियम–212 में निर्धारित व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर–19ए) पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा परियोजना के पूर्ण होने के 06 माह के भीतर परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कुल धनराशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) परियोजना का कियान्वयन 18 माह में पूर्ण किया जायेगा। अतः एसएलएनए का दायित्व है कि निर्धारित समयान्तर्गत परियोजना को पूर्ण करायें ताकि टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों /उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटों तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–पिलखुवा नगर को सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाना (के.80/रा.10–के.+रा.)–35–पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" के नाम डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

21/9/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 3451(1)/नौ–5–2012–78बजट/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
3– मण्डलायुक्त, मेरठ।
4– जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा, गाजियाबाद।
6– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
7– मुख्य अभियंता, गाजियाबाद परिक्षेत्र, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
8– वित्त (ई–8) अनुभाग/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
9– वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10– श्री राजकुमार, सीनियर एकाउन्ट आफिसर, पे एण्ड एकाउन्टस् आफिस, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 507–सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्याः PAO(Sectt.)/UD/Grants-in-Aid/Advice/2011-12/1163-65, दिनांक 28.02.2012 के कम में।
11– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12– नियोजन अनुभाग–3/4
13– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 1002/नौ-9-2012-264आरएफ/10

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक/एसएलएनए,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

22882

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांकः 18 सितम्बर, 2012

1599

विषयः- सेटेलाइट योजना के अन्तर्गत पिलखुवा नगर की पेयजल पुनर्गठन परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से निकाय अंश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पीएमयू/727/343/10, दिनांक 25.05.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत **नगर पालिका परिषद, पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद की पेयजल पुनर्गठन परियोजना** की अनुमोदित लागत ₹ 2167.55 लाख के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की तृतीय किश्त ₹ 411.35 लाख के सापेक्ष निर्धारित 10 प्रतिशत निकाय अंश की धनराशि **₹ 51.42 लाख (₹ इक्यावन लाख बयालीस हजार मात्र)** नगर पालिका परिषद, पिलखुवा को वित्तीय वर्ष 2012-13 में नया सवेरा नगर विकास योजना (रिवाल्विंग फण्ड) से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. उक्त धनराशि संबंधित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. स्वीकृत धनराशि एकमुक्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पीएलए में नहीं रखी जायेगी।
3. आवंटित धनराशि आहरित कर यथाप्रक्रिया निहित प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी अर्थात जिन कार्यो के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
6. स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
7. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
8. उपरोक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

Team Leader/AAO

18/9/12
(अजय दीप सिंह)
निदेशक

MFO
19/9/12

9. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक /मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार उ.प्र., इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को **31 मार्च, 2013** तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-अायोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-1206-दस/12, दिनांक 06 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

13/9/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 1002(1)/नौ-9-2010-264आरएफ/10, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ/गाजियाबाद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः 290जीआई/नौ–5–2012–78बजट/2012

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक/एसएलएनए,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

21613

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 2012

विषयः **भारत सरकार द्वारा कियान्वित सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत पिलखुवा नगर की सीवरेज परियोजना हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं अनुमन्य राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांकः के–14011/13/2010–यूडी–III, दिनांक 27.03.2012 के द्वारा सेटलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पिलखुवा नगर (गाजियाबाद) की सीवरेज परियोजना, जिसका वित्त पोषण केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा निकाय के मध्य 80:10:10 के अनुपात में किया जाना है, की अनुमोदित लागत रू0 3687.51 लाख के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश रू0 2950.01 लाख में से अवमुक्त केन्द्रांश रू0 372.84 लाख तथा तदनुसार अनुमन्य राज्यांश रू0 46.61 लाख अर्थात केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि **रू0 419.45 (रू0 चार करोड़ उन्नीस लाख पैंतालीस हजार मात्र)** की चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में निम्नांकित विवरण एवं शर्तों/उपबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत	अनुमोदित लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश	अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश	कुल स्वीकृत धनराशि (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गाजियाबाद	पिलखुवा नगर की सीवरेज परियोजना	3687.51	2950-01	372.84	46.61	419.45

(रू0 चार करोड़ उन्नीस लाख पैंतालीस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ/स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर परियोजना हेतु राष्ट्रीकृत बैंक में खोले गये खाते में रखी जायेगी तथा संबंधित नागर स्थानीय निकाय के अंश की धनराशि प्राप्त होने या अंशदान देने की सहमति प्राप्त होने पर अवमुक्त की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा तथा धनराशि डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(3) निदेशक, स्थानीय निकाय स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निकाय अंश की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर करेंगे।

(4) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्णतः पालन किया जायेगा एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन ही स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है, अन्य कार्यों पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का यथाशीघ्र उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र सामान्य वित्तीय नियमावली–2005 के नियम–212 में निर्धारित व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर–19ए) पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा परियोजना के पूर्ण होने के 06 माह के भीतर परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कुल धनराशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) परियोजना का कियान्वयन 18 माह में पूर्ण किया जायेगा। अतः एसएलएनए का दायित्व है कि निर्धारित समयान्तर्गत परियोजना को पूर्ण करायें ताकि टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों /उपकमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटों तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–पिलखुवा नगर को सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाना (के.80/रा.10–के.+रा.)–35–पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" के नाम डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग के प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

31/7/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 290जीआई(1)/नौ–5–2012–78बजट/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
3– मण्डलायुक्त, मेरठ।
4– जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा, गाजियाबाद।
6– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7– मुख्य अभियंता, गाजियाबाद परिक्षेत्र, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
8– वित्त (ई–8) अनुभाग/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
9– वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10– श्री के0के0 राय, अनुसचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः के–14011/13/2010–यूडी–।।।, दिनांक 27.03.2012 के कम में।
11– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12– नियोजन अनुभाग–3/4
13– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।